अध्याय 5

हमारी न्याय व्यवस्था

कक्षा सातवीं में आप लोगों ने सरकार के कार्यों, कानून बनाने व उसे लागू करने के बारे में पढ़ा। सरकार का तीसरा काम लोगों को न्याय दिलाना है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कोर्ट, कचहरियाँ क्या–क्या काम करती हैं, इनके काम करने के क्या तरीके है, और ये कितने तरह की होती हैं। कोर्ट–कचहरी के कामो को समझने के लिए आइए एक घटना का अध्ययन करें।

चैतू और रामसिंह की जमीन का झगड़ा

सोनपुर गाँव में दो किसान रहते थे– चैतू और रामसिंह। इन दोनों के खेत पास–पास थे। कुछ सालों से उन दोनों में जमीन के विषय में कहा सुनी चल रही थी। रामसिंह ने चैतू के खेत की मेंड़ को तोड़–तोड़कर धीरे–धीरे अपने खेत को बढ़ा लिया था।

खेत के मेंड़

एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा। लेकिन उसी रात रामसिंह ने चैतू के खेत की मेंड़ फोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में बिलकुल पानी नहीं है जबकि रामसिंह के खेत में काफी पानी भरा है। उसने खेत में काम कर रहे रामसिंह से कहा कि ''तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम मेरी फसल को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। रामसिंह ने कहा कि मैंने ठीक किया है।'' चैतू ने कहा, ''चोरी और सीना जोरी, मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी जमीन भी वापस लेकर रहूँगा।''

चैतू ने अपने गाँव के सरपंच को बताया कि रामसिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया है। पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई। पंचायत ने रामसिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा न करे और उसकी जमीन वापस कर दे। लेकिन रामसिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इंकार कर दिया। तब चैतू ने रामसिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय (कोर्ट) में मुकदमा दर्ज करने की सोची।

जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर–मालिक के बीच पैसों के लेनदेन में जो विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मुकदमे कहते हैं। इसमें सजा नहीं होती पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है, उसे उसके नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है।

सरपंच ने चैतू को सलाह दी कि वह वकील के पास जाए और इस मामले को बताए। वकील ने चैतू की जमीन से संबंधित सभी कागजातों जैसे पर्चा–पट्टा की फोटोकॉपी तथा पटवारी से विवादित भूमि (खसरा बी–1) की नकल लाने को कहा और उसने मामले की पैरवी करने के लिए फीस के रूप में 1500 रुपये माँगे। चैतू ने इस रकम को किश्तों में देने को कहा।

अपने शिक्षक से चर्चा करें :–

1. दीवानी मुकदमे किसे कहते हैं?
2. कोर्ट कचहरी के अलावा गाँव में न्याय पाने के और क्या उपाय हैं?
3. चैतू ने सरपंच को अपने झगड़े की बात क्यों बताई?
4. चैतू के मामले की सुनवाई किस न्यायालय में शुरू होने वाली थी?
5. चैतू ने वकील को पैसे क्यों दिए? वकील ने जमीन के कागजात क्यों मँगाए?
6. वकील का क्या काम है?

रामसिंह और चैतू की मारपीट

इसी बीच एक दिन खेत पर दोनों में काफी कहा–सुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि रामसिंह ने डंडे से चैतू के सिर और हाथ पर जोर से वार किया। चैतू के सिर पर चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। उसका हाथ भी टूट गया। पास के ही खेत में मंगल किसान काम कर रहा था। उसने भी इस घटना को देखा। उसी ने आकर चैतू की मदद की और घर तक पहुँचाया।

खेत में चैतू और रामसिंह के बीच मारपीट

थाने में रिपोर्ट

चैतू का लड़का एक पड़ोसी की मदद से पिता को थाने ले गया। चैतू ने रामसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई। थाने के मुंशी ने कोरे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह घटना की पहली रिपोर्ट (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट या एफ.आई.आर.) थी। चैतू ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा मुंशी से अनुरोध किया कि वह उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति उसे अवश्य दें। मुंशी ने थानेदार को कोरे कागज पर लिखी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये लोग इसे रजिस्टर में दर्ज करने को कह रहे हैं। थानेदार ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसे रजिस्टर में दर्ज कर उसकी एक प्रति चैतू को देने को कहा। उसके बाद उसने एक सिपाही के साथ चैतू को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चैतू का इलाज हुआ और वह घर आ गया।

एफ.आई.आर. क्या है ?

थाने में रिपोर्ट

यदि आप किसी घटना की शिकायत या किसी बात की सूचना पुलिस को देना चाहते हैं तो पास के थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना लिखवानी होती है। इसे अंग्रेजी में एफ.आई.आर. या फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस मामले की जाँच व कार्यवाही करती है और यह पुलिस का कर्तव्य भी है। एफ.आई.आर. में अपराध का विवरण अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं। जो भी जानकारी अपराध से संबंधित हो तथा मालूम हो उसे अवश्य ही उसमें लिखना चाहिए।

थाने में एफ. आई. आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा–लिखा हो तो स्वयं लिखकर एवं उस पर अपने हस्ताक्षर व पता लिखकर दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार रिपोर्ट लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है। फिर उस पर जानकारी देनेवाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ. आई.आर. एक खास रजिस्टर (रोजनामचा) में दर्ज होनी चाहिए क्योंकि रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस की जाँच की कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है।

एफ.आई.आर. लिखवानेवाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार या मुंशी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता तो रिपोर्ट लिखानेवाला रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को डाक से भेज सकता है। (इसके अलावा पुलिस नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर 100 पर भी रिपोर्ट की सूचना दी जा सकती है।)

आइए पता करें :–

1. थाने में चैतू ने क्या रिपोर्ट लिखवाई होगी? विवरण लिखें।
2. रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यों आवश्यक है?
3. अगर कोई थानेदार आपकी एफ.आई.आर. न लिखे तो आप क्या कर सकते हैं?

जुर्म की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थानेदार ने छानबीन करना तय किया। दोपहर को थानेदार चैतू के घर पहुँचा। उसने चैतू को देखा तथा डाक्टर के इलाज व पर्ची को पढ़ा। डाक्टर की पर्ची से पता चला कि चोट काफी गहरी है। चैतू का हाथ टूट गया था। थानेदार ने चैतू के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। पड़ोसी मंगल ने खेत में हुए झगड़े की पूरी बात बताई। थानेदार को यकीन हो

गया कि अपराध गंभीर है। थोड़ी देर बाद थानेदार रामसिंह के घर पहुँचा और उसे बताया कि चैतू को तुमने गंभीर चोट पहुँचाई है इसलिए तुम्हें चोट पहुँचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। थानेदार उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया।

ऐसे अपराध, जिनसे समाज की शांति भंग होती है, जैसे– चोरी, रिश्वत, डकैती, हत्या, मारपीट आदि को फौजदारी अपराध कहते हैं।

थाने में रामसिंह से पूछताछ की गई। रामसिंह इस बात से मना कर रहा था कि उसने चैतू की पिटाई की है। थानेदार उसे जुर्म कबूल करने पर जोर दे रहा था परंतु वह साफ इंकार कर रहा था।

पुलिस थाने में किसी पर भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म काबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब वह कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करे। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है।

गिरफ्तारी

पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह पुलिस से पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही उसके साथ जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी हक है कि वह जल्दी–से–जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सके।

पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर वह कोई दूसरा अपराध कर सकता है अर्थात् गिरफ्तारी कोई सजा नहीं होती।

1. रामसिंह को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया?
2. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जाता है?
3. सजा कौन दे सकता है?
4. गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है?
5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सहायता लेने की अनुमति क्यों दी जाती है?
6. फौजदारी और दीवानी मामले को उदाहरण सहित समझाएँ।

जमानत

थानेदार ने रामसिंह को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत मिन्नत की कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने रामसिंह को बताया– "तुम्हें जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन–जायजाद इत्यादि हो वह तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है।

यदि तुम्हारे पास खुद की जमीन, पैसा हो तो तुम भी अपना बाण्ड मुचलका (जमानत राशि) भर सकते हो।'' रामसिह के पास 15 एकड़ जमीन थी। अतः उसने अपना बाण्ड खुद भरा। थानेदार ने कहा जब भी तुम्हें कचहरी में, बुलाया जाएगा, तो तुम्हें वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। अब तुम घर जा सकते हो।

पहली पेशी

पहली पेशी में रामसिंह को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने रामसिंह द्वारा किए गए जुर्म की बात मजिस्ट्रेट के सामने बताई। एफ. आई.आर. की प्रति और डॉक्टर की रिपोर्ट भी दी तथा चैतू को गंभीर चोटें पहुँचाने का आरोप रामसिंह पर लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने रामसिंह से पूछा कि आप अपना जुर्म मानते हो। रामसिंह ने मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

पहली पेशी

गवाह और पेशी

रामसिंह ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाही के लिए दिए थे। चैतू ने जो रिपोर्ट थाने में लिखवाई उसमें गवाहों के रूप में एक पड़ोसी और मंगल किसान का नाम था। इन सबको मजिस्ट्रेट का आदेश (सम्मन) मिला कि उन्हें कचहरी में गवाही देने के लिए उपस्थित होना है।

15 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब गवाह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कचहरी में पहुँचे। पुकार हुई और गवाहों ने बारी–बारी से घटना के दिन की सारी बातें बताईं दोनों पक्ष के वकीलों ने गवाहों से पूछताछ की।

तीसरी पेशी में दोनों पक्ष के वकीलों में बहस हुई। इस प्रकार वकीलों द्वारा पूछताछ और बहस होते रहने के कारण केस दो साल तक चला। अंत में मजिस्ट्रेट ने रामसिंह को जानलेवा मारपीट करने के जुर्म में दोषी पाया और अपने फैसले में रामसिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई।

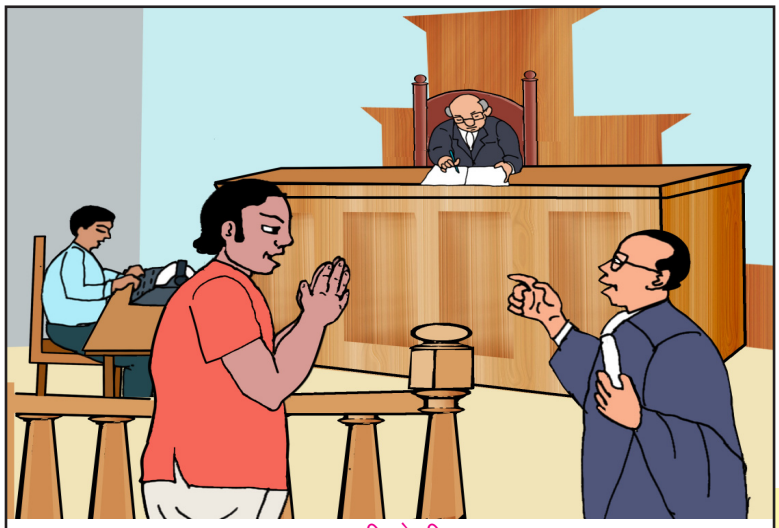

पहली पेशी

चर्चा करें और लिखें –

1. गवाह पेश करना क्यों जरूरी है ?
2. गवाहों से पूछताछ करना क्यों जरूरी है?
3. पुलिस के काम और मजिस्ट्रेट के काम में क्या अंतर है?
4 मजिस्ट्रेट अपना फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करता है? शिक्षक से चर्चा करें।

सेशन्स कोर्ट में अपील (जिला मुख्यालय)

रामसिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। उसकी खेती–बाड़ी के कार्यो मे बहुत बाधा पहुँची थी। उसे चिंता हो रही थी कि तीन साल की सजा में तो उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने वकील से कहा, ''क्या अब कोई उपाय नहीं हैं जिससे मेरी सजा माफ हो जाए?''

जिला एवं सत्र न्यायालय

वकील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा– ''मैं इस फैसले के खिलाफ सेशन्स कोर्ट में अपील करूँगा। जब तक वहाँ का फैसला नहीं होगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी का फैसला सेशंस जज बदल सकता है। सेशंस कोर्ट में तुम्हें बार–बार पेशी के लिए आने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम समय–समय पर फीस देते रहना।''

इस प्रकार रामसिंह के वकील ने सेशन्स कोर्ट (सत्र न्यायालय) में अपील की। वहाँ पर रामसिंह के बचाव के लिए उसके वकील ने मंगल को रामसिंह के पक्ष में गवाही देने को कहा पर मंगल ने साफ इंकार कर दिया। यहाँ मामला एक साल तक चला। सेशंस जज ने रामसिंह की सजा तीन साल से घटा कर दो साल कर दी।

1. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला ———————— जज बदल सकता है।
2. ————————न्यायालय में अपराधी को बार–बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
3. रामसिंह का वकील क्या गलत तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था?

QKVHGR

उच्च न्यायालय

रामसिंह फैसला सुनकर दुखी हुआ। किन्तु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वकील से पूछा कि इस सजा से बचने का क्या उपाय हैं। वकील ने सलाह

दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है। वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता है। केवल केस फाईल के आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। रामसिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय)
उच्च न्यायालय
जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला न्यायालय (दीवानी मामले)	सत्र न्यायालय (फौजदारी मामले)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2	न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी

लगभग चार माह बाद उसके केस पर बहस प्रारंभ हुई। वकील ने रामसिंह की सजा को माफ कराने की बहुत कोशिश की। उच्च न्यायालय के जज ने निचली अदालतों के फैसलों को बारीकी से जाँचा तथा वकीलों की बहस को सुना। अंत में जज ने सेशंस जज के फैसले को सही पाया और रामसिंह की दो साल की सजा को बरकरार रखा।

इस प्रकार रामसिंह को दो साल के लिए जेल भेज दिया गया। वकील ने रामसिह से जेल में मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सजा को मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ करवाऊँगा। रामसिंह ने कहा, "साहब, सर्वोच्च न्यायालय में और अधिक पैसे खर्च होंगे। वहाँ भी ऐसा ही फैसला होगा। मुझे अब कहीं नहीं जाना है।"

1. रामसिंह का मामला किन–किन अदालतों में चला? क्रम से लिखिए ।
2. किसी मामले के फैसले के विरुद्ध अपील करने की सुविधा क्यों दी जाती है? शिक्षक की मदद से चर्चा करें।

सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है।

सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेशंस कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है।

अब आप समझ गए होंगे कि रामसिंह का मामला सबसे पहले मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में गया। इसके बाद जिला के सत्र न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय में गया। इस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था तहसील, जिला, राज्य एवं देश में की गई है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है तथा देश का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है।

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आप आपस में चर्चा करें और पता लगाएँ कि आपके क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था के लिए कहाँ–कहाँ पर कचहरी है ?

अभ्यास के प्रश्न

QL5DIE

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

अ. गिरफ्तारी कोई———————— नहीं है।

ब . पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नम्बर ———————— है।

2. नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर खाली स्थान भरें–

तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए————————की तारीख दी। पहली————————में चैतू से जमीन के विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। दूसरी पेशी के लिए उसे तीन माह

बाद तारीख दी गई। तहसीलदार ने दूसरी बार जमीन के कब्जे के बारे में पूछा तो पटवारी ने कहा कि वर्तमान में चैतू की जमीन के कुछ हिस्से पर रामसिंह ने कब्जा किया हुआ है।

तीसरी पेशी में रामसिंह को नोटिस दी गई कि वह अपनी तरफ से जमीन के कागजात व ———पेश करे। चौथी पेशी में दोनों पक्षों के————————ने गवाही दी। दोनों वकीलों ने तहसीलदार के सवालों के जवाब दिए।

तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बयान तथा वकीलों की बहस को सुना तथा प्रस्तुत कागजातों की जाँच की, जाँच में विवादित भूमि चैतू का होना तय पाया। अतः उसने अपने फैसले मे लिखा कि रामसिंह चैतू की जमीन के————————को छोड़ दे तथा मुआवजे के रूप में चैतू को 5000 रु. तथा न्यायालय खर्च के रूप मे 500 रु. दे।

3. नीचे लिखे कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए–

अ. किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है।

ब. वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना है।

स. उच्च न्यायालय में छोटी कचहरी और सेशंस कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं।

4. अंतर बताएँ–

अ. वकील और जज

ब. मुजरिम और कैदी

5. निम्नलिखित के कार्य बताएँ–

वकील, मजिस्ट्रेट, पुलिस।

6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :–

अ. हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

ब. दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है?

स. न्यायालय में बार–बार पेशियाँ क्यों होती हैं ?

7. गतिविधि–

आप अपने निकट के किसी न्यायालय की जानकारी शिक्षक की सहायता से प्राप्त करें। कक्षा में कोर्ट–कचहरी की गतिविधियों को नाटक द्वारा प्रस्तुत करें।